प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 26.03.2023

नाबालिग से छेड़खानी करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैम्पिरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में व जयन्त कुमार सिह प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उ0नि0 अम्बरीश बहादुर मय हमराह का0 अरविन्द कुमार सिंह हे0का0 निखिल वर्मा के द्वारा मु0अ0सं0 142/2023 धारा 354,354घ,504,506,भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त स्वतंत्र कुमार पुत्र स्व0 श्री राम निवासी नुरूद्दीनचक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- प्रतिवादी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को दुकान पर अकेला देखकर समान लेने के बहाने छेड़खानी करने, विरोध करने पर गाली देते हुये पेट्रोल डालकर जान से मारने की धमकी देने, परिवार को भी जान से मारने की धमकी देने व स्कूल जाते समय पीछा करने के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा द्वारा थाना चिलुआताल पर तहरीर दी गयी। जिसपर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

स्वतंत्र कुमार पुत्र स्व0 श्री राम निवासी नुरूद्दीनचक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर निवासी रामपुरचक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का विवरण-

मु0अ0स0 142/2023 धारा 354,354घ,504,506,भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. जयन्त कुमार सिह प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल गोरखपुर
2. उ0नि0 अम्बरीश बहादुर थाना चिलुआताल गोरखपुर
3. का0 अरविन्द कुमार सिह थाना चिलुआताल गोरखपुर

4. हे0का0 निखिल कुमार थाना चिलुआताल गोरखपुर